

**ग्राम पंचायत सलापड़, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सलापड़, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री जगदीश चन्द	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री श्याम लाल	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री मुनीश कुमार	01.04.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सलापड़, विकास खण्ड सुंदर नगर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर	0.47
2	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.99
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	26.32
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	7.95
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	14.30
6	10	व्ययों से संबन्धित वाउचर प्रस्तुत न करने बारे	0.98
7	9	सोलर स्ट्रीट लाइट्स के क्रय में अधिक भुगतान तथा अनियमितताएं	0.82

भाग - दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सलापड़, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री सन्तोष कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.03.18 से 16.03.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	07/2014
2015-16	03/2016	07/2015
2016-17	03/2017	12/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सलापड़, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि.प्र.0) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 16.03.18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सलापड़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सलापड़, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत सलापड़, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	78114	52326	130440	13467	116973
2015-16	116973	65430	182403	11143	171260
2016-17	171260	94657	265917	27615	238302

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत सलापड़, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1227135.92	3254178	4481313.92	2988093	1493220.92
2015-16	1493220.92	4488191.50	5981412.42	3731393.50	2250018.92
2016-17	2250018.92	3622589.06	5872607.98	3240382.06	2632225.92

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व: ख़ात :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹238302

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹2632225.92

स्व ख़ात एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹2870527.92

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2917116.89

अन्तर ₹46588.97

बैंक खाता संख्या	राशि
308110102502	2532207.29
3250100141	275299
1025104000003490	70337.60
1025104000003506	39273
कुल योग	₹2917116.89

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को ₹0.47 लाख का अन्तर:-

ग्राम पंचायत, सलापड़ की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2017 को बैंक खातों के शेष तथा रोकड़ बहियों के अंत शेष में ₹46588.97 का अंतर पाया गया। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं-01 दिनांक 14.03.2018 द्वारा सचिव को अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया। अतः बैंक खातों का रोकड़ बहियों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.99 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित परिशिष्ट-3 द्वारा उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर तथा मोबाइल टावर फीस, के रूप में ₹99220 की वसूली शेष थी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	31140	9360	40500	-	40500
2015-16	40500	9360	49860	-	49860
2016-17	49860	9360	59220	-	59220

2. मोबाइल टावर फीस :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	10000	10000	20000	-	20000
2015-16	20000	10000	30000	-	30000
2016-17	30000	10000	40000	-	40000

6 अनुदान ₹26.32 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 के ₹2632226 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार के अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.95 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/ स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹795239 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹14.30 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई मर्दों के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय मर्दों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1429887 की क्रय की गई मर्दों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई मर्दों का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 सोलर लाइट्स क्रय में ₹0.82 लाख का अधिक भुगतान तथा अनियमितताएँ:-

पंचायत द्वारा निम्न विवरण के अनुसार मैसर्ज उत्तम जनरल स्टोर, सुंदर नगर से 41 सोलर स्ट्रीट लाइट न्यूनतम भाव दरों के आधार पर खरीदी।

क्रम सं.	वाउचर सं./माह	विवरण	दर	बिल सं./दिनांक	राशि
1.	26 माह 12/15	41 सोलर स्ट्रीट लाइट (12 WATT)	18500/- per set (स्थापना व्यय 2000/- प्रति सेट अतिरिक्त)	13 dt. 23.12.16	840500

इस क्रय में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

- (1) सरकार द्वारा सोलर लाइट्स, सप्लाय करने के लिए अधिकृत संस्था हिम उर्जा से क्रय नहीं की गयी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।
- (2) भाव दरें आमंत्रित करने हेतु को दैनिक समाचार पत्रों हिंदुस्तान टाइम्स तथा दैनिक न्याय सेतु में विज्ञापन दिया गया, जबकि HPFR-2009 के नियम 102 (1) के अनुसार सरकारी राजपत्र/ गिरिराज (साप्ताहिक) में भी इसे विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था।
- (3) तकनीकी तथा जटिल (complex) क्रय होने के कारण नियम 102 (5) (a) के अनुसार फर्मों से technical bids प्राप्त नहीं किए गये।
- (4) नियम 106 के अंतर्गत क्रय की मात्रा/ राशी का 2 से 5 प्रतिशत earnest money प्राप्त नहीं किया गया।
- (5) नियम 105 के अनुसार आपूर्तिकार संस्था से maintenance contract नहीं किया गया।
- (6) आपूर्तिकार फर्म द्वारा अपनी भाव दरों में, ₹2000 प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट पर स्थापना व्ययों (INSTALLATION CHARGES) का कोई उल्लेख ना करने के बावजूद भी इनका भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकार संस्था को ₹82000 का अतिरिक्त भुगतान हुआ। आपूर्ति के लिए भाव दरे देने वाली फर्मों में से, केवल एक फर्म

मेसर्स हिम पॉवर इंडिया, के अतिरिक्त किसी भी फर्म ने स्थापना व्ययों का, अपनी भाव दरों में उल्लेख नहीं किया था। अतः सोलर स्ट्रीट लाइट के क्रय पर स्थापना व्ययों के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित आपूर्तिकार/ उत्तरदायी कर्मचारी से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

10 ₹0.98 लाख व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित वाउचर आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹98020 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं.	वाउचर सं./माह	शीर्ष	रोकड़ बही प्रष्ठ सं.	विवरण	राशि
1.	09 माह 07/14	विकास कार्य	27	निर्माण सामग्री का क्रय	16600
2.	10 माह 07 14	विकास कार्य	27	सेटरिंग का किराया	18700
3.	19 माह 07/14	निधि	27	यात्रा भत्ता भुगतान	8050
4.	10 माह 12/16	विकास कार्य	53	I.H.H.L के लिए अनुदान	12000
5.	09 माह 12/16	विकास कार्य	53	I.H.H.L के लिए अनुदान	24000
6.	10 माह 07/15	निधि	34	सेटरिंग का किराया	10170
7.	11 माह 07/15	निधि	34	जलपान व्यय	4500
8.	12 माह 07/15	निधि	34	निर्माण सामग्री का क्रय	4000
कुल योग					₹98020

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 15.03.18 द्वारा उक्त वाउचर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः शीघ्र उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी

राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

12 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना को भी अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

13 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
7. वही खाते तैयार न करना।
8. मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 15 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I
- 16 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15)(xi) 61 / 2018 खण्ड—1—3699—3702 दिनांक 23.05.2018
शिमला—09

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत सलापड़, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि०प्र०
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि०प्र०

हस्ता /—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620046